न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	**प्रहेलिका (आर.जे.एस.)**
फौजदारी प्रकरण संख्या	–	**234/2016**
सी.आई.एस. संख्या	–	**132/2016**
सी.एन.आर. संख्या	–	**RJHG140001962016**

राजसिंह पुत्र माड़ासिंह, निवासी चक 2 बीएलडब्ल्यू खोथावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़। **(फौत, दिनांक 03.12.2017)**
1. सुखचैन सिंह पुत्र स्व. राजसिंह, निवासी चक 2 बीएलडब्ल्यू खोथावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

–परिवादी

बनाम

कंवरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, हाल गुरुकृपा ज्वैलर्स नजदीक आर.के. पुस्तक भण्डार, मण्डी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

–अभियुक्त

–:: अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 ::–

उपस्थित:–
1– विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार खीचड़ व श्री रमन गोदारा – परिवादी की ओर से।
2– विद्वान अधिवक्ता श्री गौरीशंकर गाट व श्री संदीप गोदारा – अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 13.06.2026**

01. हस्तगत प्रकरण परिवादी द्वारा दिनांक 13.01.2016 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2016 को उक्त आरोप का प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ने गुरुकृपा ज्वैलर्स के नाम से गोलूवाला निवादान में सोने–चांदी के आभूषणों का शो–रूम कर रखा है। अभियुक्त ने सोने–चांदी की खरीद व घरेलू जरूरत हेतु परिवादी से 14,00,000/–रूपये विधिक ऋण के रूप में उधार लिये थे, जिसकी विधिक देनदारी हेतु अभियुक्त ने दिनांक 11.12.2015 को एक चैक सं. 018665 राशि 14,00,000/–रूपये बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा गोलूवाला का अपने हस्ताक्षर करके दिया और भुगतान प्राप्त होने का विश्वास दिलाया। परिवादी ने उक्त चैक को भुगतान हेतु अपनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शाखा गोलूवाला में प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 14.12.2015 को अनादरित होकर ''Funds Insufficient'' के रिमार्क के साथ रिटर्न मीमो सहित परिवादी को दिनांक 16.12.2015 को प्राप्त हुआ। चैक अनादरित होने पर परिवादी ने अभियुक्त को उसके सही ज्ञात पते पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

लीगल नोटिस दिनांक 18.12.2015 को प्रेषित करवाया, जो कि "बार–बार घर जाने पर प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिला, बाहर गया बताया, वापिस" के पृष्ठांकन के साथ परिवादी के अधिवक्ता को वापिस प्राप्त हो गया। अभियुक्त द्वारा विहित अवधि में चैक राशि का भुगतान नहीं किया गया। अंत में परिवादी ने अभियुक्त का उक्त कृत्य अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त अपराध में दण्डित करते हुए चैक राशि से दोगुनी राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया। अतः नियमानुसार परिवाद न्यायालय में पेश किया।

03. अभियुक्त के न्यायालय में दिनांक 11.12.2023 को उपस्थित आने पर अभियुक्त को अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट की विशिष्टियों का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. परिवादी साक्ष्य के दौरान परिवादी जरिये विधिक वारिस सुखचैन सिंह ने मुख्य परीक्षण में अपना शपथ–पत्र पेश किया एवं स्वयं को पीडब्ल्यू–01 सुखचैन सिंह के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श पी–1, चैक अनादरण मीमो प्रदर्श पी–2, रिटर्न स्लिप पटियाला बैंक प्रदर्श पी–3, वकील द्वारा मुलजिम को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–4, रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श पी–5, मूल रजि. लिफाफा मय ए.डी. प्रदर्श पी–6, परिवाद पत्र प्रदर्श पी–7, परिवादी राजसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–8, ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–9, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी–9ए, परिवादी राजसिंह की पत्नी व पुत्री द्वारा जारी किया गया मुखत्यारनामा प्रदर्श पी–10, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी–10ए, कृषि भूमि की जमाबंदियां प्रदर्श पी–11 ता 13, साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र प्रदर्श पी–14 को प्रदर्शित करवाए गए।

05. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा एवं कथन किया है कि ''मैं निर्दोष हूं। मैं परिवादी को नहीं जानता हूं। मैंने परिवादी से कोई राशि उधार नहीं ली और ना ही उसके पेटे परिवादी को कोई चैक दिया है। परिवादी ने अपने जानकार सुखमन्द्र सिंह से मेरे खाली चैक लेकर यह झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया है।'' साक्ष्य में स्वयं को डीडब्ल्यू–1 कंवरजीत सिंह के रूप में परीक्षित करवाया।

06. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपनी ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला देते हुए कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से प्राप्त उधार राशि के भुगतान पेटे विवादित चैक परिवादी को प्रदत्त किया था। जो भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। जिस पर अभियुक्त को विधिक नोटिस परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया, जिसकी अभियुक्त को जानकारी होने के बाद भी अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाने पर हस्तगत परिवाद पेश किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा समस्त कार्यवाही विहित समयावधि में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत की गई है। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में मात्र स्वयं को डीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित करवाया है, अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं

की है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर परिवादी को बतौर प्रतिकर चैक से दुगुनी राशि अभियुक्त से दिलाई जाने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

1. 2023(3) NIJ 477(SC) Rakesh Jain Vs. Ajay Singh.
2. SLP (Crl.) No(s). 5241/2016 Jain P. Jose Vs. Santosh & Anr.
3. 2023(1) NIJ 658 (SC) P. Rasiya Vs. Abdul Nazer & Anr.
4. S.B. Criminal Misc. (Pet.) No. 7276/2022 Shyam Sunder Soni Vs. State of Rajasthan.
5. 2023(3) NIJ 751 (HP) Hira Singh Vs. Amar Singh.
6. 2023(3) NIJ 507 (HP) Fateh Chand Vs. Bhagat Ram.
7. 2020(1) NIJ 567 (Mad) Raman Vs. Sudha.
8. 2023(3) NIJ 634 (Cal.) Kamal Moni Dutta Vs. Narayan Chandra Roy & Anr.

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया है कि गुरुकृपा ज्वैलर्स दुकान मुलजिम की होने के संबंध में कोई दस्तावेज या दुकान फोटो, जिस पर दुकान मालिक या प्रोपराईटर होना साबित हो। रूपये देने की कोई दिनांक (परिवाद) या लिखापढ़ी (पत्रावली) या गवाह (साक्ष्य) नहीं है। रूपये मुलजिम को देने व परिवादी को वापिस लौटाने की मौखिक साक्ष्य है, लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। वर्ष 2015 में परिवादी द्वारा अपनी हैसियत से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किए। परिवादी द्वारा आज अपनी हैसियत से संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं, जिससे साबित नहीं है कि परिवादी की वर्ष 2015 में इतनी राशि देने की हैसियत थी या नहीं। परिवादी द्वारा एक दिन में इतनी बड़ी राशि देने के बावजूद भी कोई लिखापढ़ी नहीं करना व ब्याज पर राशि नहीं देना संदेहास्पद है। परिवादी ने साक्ष्य में मुलजिम के माता–पिता को जानना बताया है, लेकिन उसने अपने परिवाद के समस्त तथ्यों में मुलजिम के पिता का नाम गुरजीत सिंह अंकित करवाया है, जिससे मुलजिम को परिवादी के द्वारा नहीं जानना साबित होता है। मुलजिम वर्ष 2013 में पंजाब गिदड़वाह चला गया था, जिसके संबंध में उसने अपना आधार कार्ड भी न्यायालय में पेश किया है। मुलजिम के पिता गुरमीत सिंह व सुखमन्दर सिंह के बीच व्यवहार व लेनदेन चल रहा था। सुखमन्दर सिंह ने मुलजिम के पिता से मुलजिम का खाली चैक लेकर परिवादी के नाम से झूठा मुकदमा किया है। परिवादी अपने परिवाद व साक्ष्य में मुलजिम को किस घरू जरूरत हेतु रूपये देना बताया है, यह स्पष्ट नहीं बताया है। परिवादी ने अपने परिवाद में रूपये ऋण पर देना बताया है, लेकिन कोई भी ऋण बिना ब्याज लिखापढ़ी नहीं दिया जाता है। प्रदर्श पी–1 की इबारत व हस्ताक्षर अलग–अलग स्याही व नाम राशि हिन्दी व अंग्रेजी में है। राजसिंह का पुत्र सुखचैन रूपये देने, चैक देने के समय उपस्थित नहीं था, क्योंकि राजसिंह द्वारा अपने परिवाद में स्वयं व सुखचैन सिंह द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समस्त लेन–देन उसके पिता व मुलजिम का अपस में होने के कथन किये हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

08. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया।

09. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

''आया अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे परिवादी को भुगतान राशि स्वरूप चैक, चैक संख्या 018665 दिनांक 11.12.2015 राशि 14,00,000/–रूपये बैंक ओरियन्टल ऑफ कॉमर्स, शाखा गोलूवाला का स्वयं का हस्ताक्षरशुदा प्रदत्त किया व भुगतान होने का विश्वास दिलाया, जो कि अनादरित हुआ व नोटिस प्राप्ति उपरांत भी अभियुक्त ने विहित अवधि में चैक की राशि का भुगतान नहीं कर धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत अपराध का गठन किया है ?

यदि हां, तो अभियुक्त को क्या दण्ड दिया जावे?''

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है:–

(क) क्या विवादित चैक विधिक ऋण या दायित्व की अदायगी पेटे परिवादी को अभियुक्त के द्वारा दिया गया था।

(ख) क्या अभियुक्त को परिवादी की ओर से अनादरण बाबत् विधिक नोटिस प्राप्त हुआ था।

(ग) क्या नियत समय में अभियुक्त द्वारा विवादित चैक की राशि का भुगतान परिवादी को कर दिया गया था।

(घ) क्या परिवादी के पक्ष में धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन उपधारणा का सृजन हुआ है।

(ड) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन किया गया है।

11. परिवादी जरिये विधिक वारिस ने स्वयं को बतौर पीडब्ल्यू–1 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया। गवाह पीडब्ल्यू–1 सुखचैन सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में अंतर्गत धारा 145 एन.आई. एक्ट में शपथ–पत्र पेश कर अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत पी–14 प्रदर्शित कराए हैं। जिरह में मुख्यतः कथन किया कि वह कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ है। उसने 2006 में 10 वीं कक्षा पास की थी। वह खेती का कार्य करता हैं कंवरजीत की गोलूवाला में सोने–चांदी की दुकान है। जब मुकदमा किया था, तब यह दुकान चलती थी और कंवरजीत दुकान में बैठता था, अब कंवरजीत बैठता है या नहीं, उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि कंवरजीत सिंह को केवल उसके पिता राजसिंह जानते हों, वह भी अच्छी तरह से जानता है। वह कंवरजीत सिंह को करीब 20–25 सालों से जानता है। वह कंवरजीत सिंह के परिवार में माता–पिता के अलावा किसी को नहीं जानता, क्योंकि जब वह जाता तब उसके माता–पिता ही वहां मिलते थे। यह कहना सही है कि गुरुकृपा ज्वैलर्स की दुकान कंवरजीत सिंह की होने के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह कहना सही है कि उसके पिता ने कंवरजीत सिंह को उधार दिए थे तथा कंवरजीत सिंह ने उसके

पिता को उक्त रुपयों की अदायगी बाबत चैक दिया था। गुरतेज सिंह पुत्र माड़ासिंह उसके चाचा हैं। उसे नहीं पता कि गुरतेज सिंह ने भी कंवरजीत के उपर चैक अनादरण का मुकदमा कर रखा है या नहीं। यह कहना सही है कि उक्त रुपये उसके पिता ने उधार दिए थे, जिसके बाद कवंरजीत ने चैक उसके पिता को दिया, उन्होंने ही अनादरित करवाकर मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उसके पिता ने उक्त रुपये अपनी फसल बिक्री के जो घर पर पड़े थे, दिए थे तथा उस समय एक ट्रैक्टर बेचा हुआ था, उसके थे। यह कहना गलत है कि उसके पिता ने उक्त राशि बैंक से निकालकर दी हो। यह कहना सही है कि चैक प्रदर्श पी–1 की इबारत में उसके पिता का नाम अंग्रेजी में, राशि हिन्दी में काली स्याही से भरी है, जबकि हस्ताक्षर ए से बी नीली स्याही से हिन्दी में किए हुए हैं। कंवरजीत सिंह द्वारा चैक प्रदर्श पी–1 उसके सामने हस्ताक्षर कर उसकी दुकान पर उसके पिता को सौंपा था। कंवरजीत सिंह द्वारा उक्त चैक देते समय वह, उसके पिता व कंवरजीत सिंह मौजूद थे। अन्य कोई व्यक्ति वहां नहीं था। यह कहना गलत है कि कंवरजीत सिंह ने हस्ताक्षरशुदा खाली चैक उन्हें दिया हो, बल्कि उन्हें भरा हुआ दिया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 चैक उनके सामने भरा था। वह नहीं बता सकता कि चैक की दिनांक में कोई कटिंग हो रखी हो। कंवरजीत सिंह के पिता का नाम गुरजीत सिंह है। वर्ष 2015 में उसके पिता के पास कृषि से करीब 12–13 लाख रूपये की बचत हो जाती थी। यह कहना गलत है कि वे अपने बचत के रूपये किसी बैंक खाता में जमा करवाते थे, बल्कि उचंती फसल विक्रय कर घर पर राशि रख लेते थे। यह कहना सही है कि फसल विक्रय व बचत से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए हैं। कंवरजीत की आमदनी बाबत वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि वह कितनी आमदन करता था। प्रदर्श पी–7 पर क्या लिखा है, उसे पता है कि उक्त मुकदमा कंवरजीत से रूपये लेने व चैक अनादरण बाबत किया है। यह कहना सही है कि उसके पिता के हस्ताक्षर बाबत आज वह साथ कोई दस्तावेज साथ लेकर नहीं आया, जिनमें प्रदर्श पी–7 में उसके पिता द्वारा किए गए हस्ताक्षर से मेल खाते हों। यह कहना सही है कि उसने कोई हस्तलिपि विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा नहीं ले रखा है, लेकिन अपने पिता होने के कारण उनके हस्ताक्षर अच्छी तरह पहचानता है। प्रदर्श पी–14 पर क्या लिखा है, उसे पता है उसने पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि उसको उक्त चैक के अनादरण की जानकारी ना हो। यह कहना गलत है कि उक्त चैक उसके पिता राजसिंह को उसके गांव के सुखमन्द्र सिंह ने दिया हो। यह कहना गलत है कि उसे कंवरजीत सिंह को अपने पिता को रूपये देने की जानकारी ना हो और रूपये देते समय वह मौका पर ना हो। यह कहना गलत है कि कंवरजीत सिंह ने उसके पिता को खाली चैक पर हस्ताक्षर देकर गया हो तथा उसके पिता द्वारा दुरुपयोग करते हुए उक्त प्रकरण दर्ज करवाया हो। यह कहना गलत है कि उसे उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी दिनांक 10.03.2026 को हुई हो।

12. सुविधा की दृष्टि से उक्त समस्त विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त को परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया विधिक नोटिस प्रदर्श पी–4 प्राप्त होने के संबंध में बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त को विधिक नोटिस की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने

से प्रकट होता है कि अभियुक्त ने अपितु अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में भी नोटिस प्राप्त होने से इन्कार नहीं किया है, साथ ही बयानों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो पता अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में स्वयं के पते के रूप में अंकित कराया है तथा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत–मुचलकों में भी, परिवादी द्वारा उसी पते पर ही नोटिस प्रेषित किया गया है। उसके अतिरिक्त पत्रावली संलग्न अभियुक्त के जमानत मुचलकों में भी अभियुक्त का वही पता अंकित है। उक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि अभियुक्त को विधिक नोटिस उसके सही पते पर प्रेषित किया गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत C.C.Alavi Haji Vs Palapetty Mohd. & Anr (2007)6 SCC 555 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि–

"Where the payee dispatches the notice by registered post with correct address of the drawer of cheque the principle incorporated in section 27 of general clauses Act would be attracted; the requirment of clause(b) of proviso to section 138 NI Act stands complied with and cause of action to file a complaint arises on the expiry of period prescribed in clause(c) of said proviso for payment by drawer of the cheque."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में अभियुक्त को विधिक नोटिस की तामील होना माना जायेगा। अभियुक्त ने चैक पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है, जिससे चैक पर हस्ताक्षर स्वीकृत व निर्विवादित हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में धारा–118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान के तहत चैक प्रतिफलार्थ परिवादी को परिदत्त किये जाने एवं परिवादी के सम्यक् अनुक्रम के चैक का धारक होना तथा धारा–139 परक्राम्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिवादी के पक्ष में विवादित चैक ऋण की अदायगी पेटे विधिक दायित्व की पालना में अभियुक्त द्वारा जारी किये जाने की उपधारणा परिवादी के पक्ष में सृजित की जाती है।

13. निर्विवाद रूप से परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है, जिसे अभियुक्त अपनी ओर से अपना साक्ष्य रख संभावनाओं की प्रबलता की हद तक साबित कर खण्डित कर सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त– **Basalingappa Vs Mudidasappa, Criminal Appeal No–636 of 2014** से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना उचित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिकथित किया है कि–

1. The Presumption under Section 139 is rebuttable Presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

2. To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise aprobable defence.Inference of preponder–ance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on

record by the parties but also by reference to the circumstances upon which then rely.

3. That it is not necessaary for the accused to come in the witness box in support to his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

4. It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence."

परिवादी का हस्तगत प्रकरण में यह पक्ष है कि उसके द्वारा अभियुक्त को 14,00,000/–रूपये की राशि आपसी जान–पहचान होने के कारण सोने–चांदी की खरीद व घरेलू आवश्यकता के लिए उधार दी थी, जिसके पेटे विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया, जबकि अभियुक्त का यह पक्ष है कि उसकी परिवादी की ओर कोई देनदारी नहीं है, उसने परिवादी कोई चैक भरकर नहीं दिया, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। परिवादी के पक्ष में उपधारणा सृजित होने की स्थिति में अपना पक्ष अधिसंभाव्य की प्रबलता की हद तक साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर (स्वीकृत)/दर्शित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त – Bir Singh Vs Mukesh Kumar (2019) 4 SCC 197 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि–

'''If a signed blank cheque is presented to a payee voluntarily, the payee may fill up amount and other particulars. This in itself would not invali– date cheque. Onus will be on accused to prove cheque was not discharge of debt.'''

इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त APS Forex services pvt.Lt. Vs Shakti International Fashion linker (2020)12 SCC 724 में अभिकथित किया है कि–

"Where the issuance of the cheque and the signatures are not disputed, the presumptions under Negotiable Instruments Act will kick in and for the proposition and that. it was wrong to shift burden of proving existence of lia– bility on complainant."

धारा 20 परक्राम्य लिखित अधिनियम व उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त की परिवादी की ओर कोई देनदारी नहीं है, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अपना पक्ष साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। उसके द्वारा यह साबित किया जाना था कि उसके चैक राशि देने का विधिक दायित्व नहीं बनता था।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Kumar Export V/s Sharma Carpets (2009)2 Kumar SCC 513 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"The accused may adduce direct evidence to prove that the note in question was not supported by consideration and that was no debt ot liability to be discharged by his. However the court need not insist in every case that the accused should disprove the non–existence of consideration and debt by leading evidence because the existence of negative evidence is neither possi–ble nor contemplated. At the same time, it is clear that bare denial of the passing of the consideration and existence of debt, apparently would not serve the purpose of the accused. Something which is probable has to be brough on record for getting the burden of proof shifted to the complainant"

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा के संबंध में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा मात्र यह कथन करना कि वह किसी विधिक दायित्व अथवा ऋण का अधिकारी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष ऐसी परिस्थितियों अथवा तथ्यों को दर्शित करना होता है, जिससे अभियुक्त के पक्ष में सम्भावना का सृजन हो एवं सम्भावनाओं की प्रतिपादना के आधार पर अनुकूल उपधारणा का खण्डन होता हो। हस्तगत प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य एवं परिस्थितियां सामने नहीं आई हैं, जिससे परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन माना जा सकता हो एवं परिवादी पर सबूत का भार पुनः आता हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का यह अभिमत है कि परिवादी के पक्ष में धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा अखंडित रही है एवं परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु ही प्राप्त किया गया था।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त– **K.N.Beena Vs Muniyappan and Another, 2001(8)SCC 458** के अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है कि–

"This Court held that in view of the provisions of Section 139 of the Ne–gotiable Instruments Act read with Section 118 thereof, the Court had to pre–sume that the cheque had been issued for discharging a debt or liability. The said presumption was rebuttable and could be rebutted by the accused by proving the contrary. ***But mere denial or rebuttal by the accused was not enough.*** *The accused had to prove by cogent evidence that there was no debt or liability........................The accused had to prove in the trial by leading co–gent evidence that there was no debt or liability."*

अभियुक्त **Cogent Evidence** के जरिये अपना पक्ष साबित कर परिवादी की साक्ष्य का खण्डन कर सकता है। परिवादी पक्ष का मात्र **Denial** कर अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन नहीं कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित चैक परिवादी को

14,00,000/–रूपये राशि के भुगतान पेटे नहीं दिया गया। अभियुक्त ने जाहिर किया है कि उसने कोई चैक परिवादी को नहीं दिया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। अभियुक्त ने जाहिर किया कि परिवादी द्वारा झूठा मुकदमा बनाया गया है, परन्तु कोई लेनदेन न होते हुए नोटिस मिलने के बाद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई तथा ना ही इस संबंध में परिवादी को कोई नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्रदर्श पी–4 की सूचना होने के बावजूद अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब नोटिस प्रेषित नहीं किया। परिवादी अपना परिवाद युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

16. अतः अभियुक्त **कंवरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, हाल गुरुकृपा ज्वैलर्स नजदीक आर.के. पुस्तक भण्डार, मण्डी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(प्रहेलिका, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

<u>सज़ा के बिन्दु पर सुना गया:–</u>

17. अधिवक्ता अभियुक्त ने यह निवेदन किया कि अभियुक्त काफी समय से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। मामला सम्मन प्रकृति का है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे।

18. अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि अभियुक्त से चैक राशि प्राप्त करने के लिये परिवादी को न्यायालय में चक्कर लगाने पड़े हैं। समस्त अर्थव्यवस्था चैक पर आधारित है, जिस कारणवश चैक की विश्वसनीयता बनाये रखे जानी है। उक्त भुगतान के अतिरिक्त परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना आवश्यक है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाकर परिवादी को क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे।

19. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा परिवीक्षा अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में विपक्षी को चैक अनादरण के पश्चात् सूचना हेतु एवं राशि की मांग बाबत् विधिक नोटिस प्रेषित इस आशय का किया जाता है कि विपक्षी को एक अवसर अपनी विधिक दायित्व से उन्मोचित होने का मिल सके। विहित अवधि में ऐसा न किये जाने पर ही कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त परिवादी को चैक राशि प्राप्त करने के लिये न्यायालय में आना पड़ा है तथा चैक अनादरण के ऐसे अपराधों एवं समाज व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को

देखते हुये प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: दण्डादेश ::–

20. अभियुक्त **कंवरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, हाल गुरुकृपा ज्वैलर्स नजदीक आर.के. पुस्तक भण्डार, मण्डी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़** को अपराध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप:–

1. अभियुक्त कंवरजीत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, को **01 वर्ष** के साधारण कारावास तथा **22,00,000/–रूपये (बाईस लाख रूपये)** के प्रतिकर से दण्डित किया जाता है, प्रतिकर राशि अदा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त 02 माह का साधारण कारावास मूल सजा कि समाप्ति पर पृथक से भुगतेगा।

2. अभियुक्त द्वारा प्रतिकरण की राशि जमा कराने अथवा वसूल होने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिविजन, प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि परिवादी को दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

3. अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार हो।

4. अभियुक्त ने इस प्रकरण में यदि पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि बिताई हो तो वह मूल सजा में समायोजित की जावे।

5. निर्णय की एक प्रति धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

6. अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(प्रहेलिका, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

21. निर्णय व आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रहेलिका, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़